छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक / 100 / रेरा / 2024 / 106 रायपुर, दिनाँक– 09 / 01 / 2024

/ / परिपत्र / /

विषय :– प्रमोटर द्वारा 100 प्रतिशत कार्यपूर्ण एनेक्चर–3 एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित आवेदन पर प्रोजेक्ट त्रैमासिक अद्यतन किए जाने के संबंध में।

––00––

प्राधिकरण द्वारा आदेश क्रमांक–1089, दिनाँक 16.08.2023 के माध्यम से गठित विभिन्न हितधारकों (stakeholders) की संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों के माध्यम से प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें प्रमोटर द्वारा आर्किटेक्ट एनेक्चर–20 प्रमाण पत्र के माध्यम से 100 प्रतिशत कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र और सक्षम प्राधिकारी से कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके है। ऐसे प्रकरणों त्रैमासिक अद्यतन प्रस्तुत नहीं किए जाने सुझाव संयुक्त समिति द्वारा दिए गए थे। अतः इस संबंध में समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों से सहमत होते हुये भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–37 में प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है :–

ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें प्रमोटर द्वारा आर्किटेक्ट एनेक्चर–20 प्रमाण पत्र के माध्यम से 100 प्रतिशत कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र और सक्षम प्राधिकारी से कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रोजेक्ट अवधि समाप्ति के पूर्व आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके है। उन्हें आगामी त्रैमासिक अद्यतन हेतु नया प्रमाण पत्र एनेक्चर–3,4,5 प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले त्रैमासिक हेतु जारी प्रमाण पत्र ही पोर्टल में अपलोड किए जा सकेंगे। किंतु यह भी आवश्यक होगा कि इस दौरान की अवधि में कोई भी संव्यवहार(Transaction) / क्रय–विक्रय, बंधक भूखण्ड का अवमुक्त किये जाने पर प्रमोटर को नये एनेक्चर–3,4,5 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण

रायपुर

घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पति श्री .... आयु .... निवासी .... निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ :–

1. यह कि मेरे द्वारा दिनाँक .... को मेरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट .... जिसका छत्तीसगढ़ रेरा रजिस्ट्रेशन क्रमांक .... है, का संपूर्ण विकास/निर्माण कार्य स्वीकृत ले–आउट व ब्रोशर अनुसार पूर्ण करने पश्चात् दिनाँक .... को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। (आवेदन की प्रति संलग्न है।)
2. मेरे द्वारा पिछला त्रैमासिक अद्यतन(1ला, 2रा, 3रा एवं 4था वित्तीय वर्ष ....) के पश्चात् कोई भी भूखण्ड/भवन का क्रय–विक्रय अथवा खातों में संव्यवहार(Transaction) या कोई बंधक भूखण्ड/भवन/फ्लैट का अवमुक्त नहीं कराया गया है।
3. सक्षम प्राधिकारी से कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही रेरा कार्यालय में पोर्टल में कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्ति दिनांक तक त्रैमासिक अद्यतन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

मेरे द्वारा प्रदाय की गई उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरे विश्वास व जानकारी अनुसार सत्य व सही है तथा मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

उद्घोषणाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

दिनाँक –

स्थान –